



# कार्यालय: रॉची निगम, रॉची।

(अभियंत्रण शाखा)

कचहरी रोड, रॉची, पिन - 834001

e-mail: support@ranchimunicipal.com

पत्रांक :- ८७ | ४५४८

दिनांक :- 25-01-19

## अतिअल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना (2<sup>nd</sup> Call)

- विज्ञापनदाता का नाम
  - निविदा प्राप्त करने की तिथि एवं समय
  - निविदा खोलने की तिथि एवं समय
  - परिमाण विपत्र Download की तिथि
  - निविदा प्राप्ति का स्थान
- :- अधीक्षण अभियंता, रॉची निगम, रॉची।  
 :- 05/02/2019 को 02:00 बजे अपराह्न तक।  
 :- 05/02/2019 को 2:30 बजे अपराह्न के बाद।  
 :- 31/01/2019 से 04/02/2019 तक।  
 :- अभियंत्रण शाखा, रॉची निगम, रॉची।

क्रमांक	वार्ड नं०	योजना का नाम	प्राक्कलित राशि	परिमाण विपत्र का मूल्य	अग्रधन की राशि	कार्य समाप्ति की अवधि (कार्यादिश)
1	2	3	4	5	6	7
1	13	टोंकी टोली, सामलौंग में बोनीफास खलखो के घर से अजीत खलखो के घर तक पी० सी० सी० पथ का निर्माण कार्य।	287200	1000	5800	45 दिन
2	46	मिस्त्री मोहल्ला में डॉ० आनन्द विलिनक के पास पुलिया का निर्माण एवं रविदास मोहल्ला में धाम घर जाने वाले रोड में कलभर्ट का निर्माण कार्य।	89690	1000	1800	45 दिन

1. निविदा के साथ निम्नलिखित कागजात निम्न क्रम में संलग्न करना अनिवार्य होगा।

- (क) a. परिमाण विपत्र का मूल्य (डिमाण्ड ड्राफ्ट मूल रूप में)  
 b. अग्रधन की राशि (मूल रूप में)  
 c. रॉची निगम/नगर विकास एवं आवास विभाग में निबंधन की प्रति।  
 d. वैध चरित्र प्रमाण पत्र (छाया प्रति)  
 e. G.S.T निबंधन से संबंधित प्रमाण पत्र  
 f. पैन (छाया प्रति)  
 g. Download किया गया एन० आई० टी० के साथ परिमाण विपत्र।
- (ख) उपरोक्त क्रम में संबंधित दस्तावेज संलग्न करने के उपरान्त प्रत्येक पृष्ठ में (अग्रधन की राशि एवं डिमाण्ड ड्राफ्ट को छोड़कर) पृष्ठ संख्या अंकित कर स्वप्रमाणित (हस्ताक्षर) किया जाना आवश्यक है।
- बिना कारण बताये निविदा या किसी विशेष कार्य को रद्द करने अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।
  - निविदा के साथ अग्रधन की राशि रास्त्रीय बचत प्रमाण पत्र (8वाँ निर्गम) तीन या पाँच वर्षीय सावधि पासबुक (पोस्ट ऑफिस का)/सावधि जमा, जो नगर आयुक्त, रॉची निगम, रॉची के पदनाम से प्रतिज्ञित (लोज) हो, देय होगा।
  - परिमाण विपत्र का मूल्य (जो किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं होगा), रॉची निगम में डीमाण्ड ड्राफ्ट (प्रत्येक ग्रप के लिये अलग से) नगर आयुक्त, रॉची निगम, रॉची के नाम से जमा करना होगा एवं परिमाण विपत्र रॉची निगम के वेबसाइट [www.ranchimunicipal.com](http://www.ranchimunicipal.com) से उपरोक्त निर्धारित तिथि के अन्दर Download किया जाना है तथा डीमाण्ड ड्राफ्ट (प्रत्येक ग्रप के लिये अलग से) संख्या उसमें अंकित करते हुये निविदा के साथ अलग Cover में निर्धारित तिथि को निगम में जमा करें।



by ✓



5. इस निविदा के संबंध में विस्तृत जानकारी निविदा प्रकाशन के उपरांत किसी कार्य दिवस में नगर निगम के अभियंत्रण शाखा से प्राप्त किया जा सकता है।
6. कार्य की प्राकलित राशि घट या बढ़ सकती है। तदनुसार अग्रधन की राशि एवं परिमाण विपत्र के मूल्य में परिवर्तन हो सकता है। अनुमोदित परिमाण विपत्र के अनुसार ही उक्त राशि देय होगी।
7. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगा। निविदा से संबंधित विशेष शर्त परिणाम विपत्र के साथ संलग्न रहेगा जो एकरारनामा का अंग होगा।
8. अनुसूचित दर से 10 प्रतिशत से ज्यादा कम दर मान्य नहीं होगा।
9. निविदा के पूर्व स्थल का निरीक्षण संवेदक कर लें तथा स्थिति से संतुष्ट होकर ही निविदा दे। इस संबंध में किसी भी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा। संवेदक को किसी प्रकार का यंत्र-संयंत्र एवं सामग्री निगम द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जायेगा।
10. जिन संवेदकों द्वारा ससमय कार्य पूर्ण नहीं किया गया है तथा अभी भी कार्य लंबित है, उन संवेदकों को कार्य आवंटित नहीं किया जायेगा।
11. आवंटित कार्य का किसी भी परिस्थिति में sub-letting मान्य नहीं होगा।
12. किये गये कार्य का रख रखाव 3 वर्षों तक संवेदक के द्वारा किया जायेगा। इसके लिए सुरक्षित राशि 3 वर्षों की अवधि पूरा होने के पश्चात् ही कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर विमुक्त की जायेगी तथा EMD की राशि कार्य पूर्ण होने के उपरांत 06 माह में विमुक्त की जायेगी।
13. कार्य स्थल पर कार्य की विवरणी का सूचना पट्ट संबंधित सहायक अभियंता से प्रारूप अनुमोदित कराकर लगाना अनिवार्य होगा।
14. कार्य आवंटित किये जाने के पश्चात् संवेदक अभियंत्रण शाखा में शेष अग्रधन की राशि राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (8वाँ निर्गम) तीन या पाँच वर्षीय सावधि पासबुक जो नगर आयुक्त, रांची नगर निगम, रांची के पदनाम से प्रतिज्ञित (प्लेज) हो, एक सप्ताह के अन्दर जमा कर एकरारनामा करना सुनिश्चित करें। एकरारनामा ससमय नहीं किये जाने पर आवंटित कार्य रद्द कर दिया जायेगा तथा भविष्य में कोई भी कार्य आवंटित नहीं किया जायेगा न ही कार्य आवंटन के संबंध में कोई दावा मान्य होगा।
15. संवेदक कार्य समाप्ति के पश्चात् कार्यालय को सूचित करेंगे। सूचना नहीं प्राप्त होने पर ऐसा समझा जायेगा की संवेदक द्वारा निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण नहीं कराया गया है एवं समय वृद्धि किसी भी परिस्थिति में नहीं दी जायेगी।
16. कार्य आवंटन में वैसे संवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिन्हें निविदित योजना के Similar Nature of work/Civil Work का अनुभव प्राप्त हो।
17. G.S.T. से संबंधित प्रमाण पत्र अद्यतन रिटर्न की प्रति।
18. सभी bidders को निविदा के समय अपना Mobile No. एवं Whatsapp No./Email No. स्पष्ट अंकित करना होगा, ताकि आवश्यक हो, तो उनसे सम्पर्क किया जा सके।
19. जिन संवेदकों को पूर्व में कार्य आवंटित किया जा चुका है और उनके द्वारा कार्य समाप्त नहीं किया गया है, वैसी स्थिति में उन्हें प्राथमिकता नहीं दिया जायेगी।

उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन नहीं किये जाने पर संबंधित निविदायें अमान्य कर दी जायेगी।

N. २४५०/१  
अधीक्षण अभियंता  
रांची नगर निगम, रांची।

